...नहीं बन सकता।

प्रश्न : भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पद एवं स्थिति का निरीक्षण कीजिये।

(Examine the powers and position of the President of India.)

अथवा

भारतीय राष्ट्रपति के स्थान, अधिकारों एवं कार्यों की विवेचना करें।

(Discuss the position, powers and functions of the Indian President.)

उत्तर : भारतीय राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का प्रधान है। वह राज्याध्यक्ष है तथा ओहदों के क्रम में उसका स्थान सर्वोच्च है। संविधान की धारा 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ उसी में निहित हैं। लेकिन, संसदीय शासन के गुणों के अनुरूप वह इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करता। उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग केन्द्रीय मंत्रिमंडल सहित प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। वस्तुत: राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान है तथा वह उन शक्तियों का प्रयोग संघीय मंत्रिमण्डल की सलाह से करेगा। अर्थात्, राष्ट्रपति संवैधानिक एवं प्रतीकात्मक प्रधान है तथा देश की वास्तविक शक्ति संघीय मंत्रिपरिषद् के हाथों में है, जिनका नेता प्रधान मंत्री है। भारत की यह व्यवस्था ब्रिटिश शासन की व्यवस्था से मिलती है जहाँ सम्राट् (वर्त्तमान समय सम्राज्ञी) राष्ट्रपति की तरह औपचारिक प्रधान है। संविधान के 42वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है। 44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल की सलाह को एक बार उसके पास पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। परन्तु मंत्रिमण्डल द्वारा पुनर्विचार के बाद प्रेषित दूसरी बार की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है।

राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य :

संविधान की धारा 53 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान है। धारा 53 में कहा गया है कि ``**संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी जिनका प्रयोग वह स्वंय अथवा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा।**'' लेकिन, राज्याध्यक्ष होने के कारण उसे अन्य क्षेत्रों में भी महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। अध्ययन की सुविधा हेतु उसके अधिकारों एवं कार्यों को निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा जा सकता है–

1. कार्यपालिका संबंधी अधिकार (Executive Powers)
2. विधायिका संबंधी अधिकार (Legislative Powers)
3. वित्त संबंधी अधिकार (Financial Powers)
4. न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)
5. संकटकालीन अधिकार (Emergency Powers)

1. कार्यपालिका संबंधी अधिकार : राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान है तथा इस हैसियत से संपूर्ण देश का शासन उसी के नाम से होता है। इस क्षेत्र में उसके प्रमुख अधिकार एवं कार्य निम्नांकित हैं :

(i) राज्याध्यक्ष होने की हैसियत से उसे राज्यपाल के जरिये राज्य-प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त करते रहने का अधिकार है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य या राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लागू कर सकता है।

(ii) संघीय कार्यपालिका का प्रधान होने के कारण उसका प्रमुख कार्य देश के शासन पर निगरानी रखना है। उसे संघ-शासन के संबंध में सूचना और जानकारी पाते रहने का भी अधिकार है।

(iii) राष्ट्रपति को संघीय मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति का अधिकार है। वह प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है तथा उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है एवं उनके बीच विभागों का बँटवारा करता है। वह मंत्रियों को पदच्युत भी कर सकता है।

(iv) राष्ट्रपति को देश के महत्त्वपूर्ण पदों यथा महाधिवक्ता, महान्यायवादी, राज्यपाल, राजदूत, विभिन्न आयोगों के सदस्यों आदि को नियुक्त करने का अधिकार है।

(v) राष्ट्रपति देश की रक्षा-सेना का प्रधान है। वह युद्ध की घोषणा कर सकता है, संधि कर सकता है तथा युद्ध स्थगन कर सकता है। वह सेना के प्रमुख अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकता है।

(vi) राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को तथा आवश्यकता पड़ने पर आंग्ल-भारतीय समुदाय के अधिक-से-अधिक दो प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनित करता है।

(vii) देश में विभिन्न क्षेत्रों में की गयी सेवाओं के आधार पर राष्ट्रपति देशरत्न, पद्मविभूषण, पद्मश्री आदि उपाधियों का वितरण करता है। 1991 में राष्ट्रपति ने सरदार पटेल, श्री मोरारजी देसाई तथा स्व. राजीव गाँधी को भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया।

2. विधायिका संबंधी अधिकार : राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। संविधान की धारा 71 में कहा गया है कि संघीय व्यवस्थापिका राष्ट्रपति तथा दो सदनों–राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। संसद का अभिन्न अंग एवं राज्याध्यक्ष होने की हैसियत से उसे विधायी क्षेत्र में निम्नांकित शक्तियाँ प्राप्त हैं :

(i) राष्ट्रपति को संसद को दोनों सदनों की बैठकों को आमंत्रित करने, स्थगित करने, उसका समय निश्चित करने या उसे चालू रखने का अधिकार है। आवश्यकतानुसार वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकता है।

(ii) राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अथवा दोनों सदनों की अलग-अलग बैठक में भाषण देने का अधिकार है। प्रत्येक वर्ष सत्र के आरम्भ में वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देता है।

(iii) राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन में संदेश भेजने का अधिकार है।

(iv) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक की उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त न हो जाय। धन एवं सांविधानिक संशोधन विधेयकों को छोड़कर साधारण विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। परन्तु पुनर्विचार के बाद जिस रूप में भी विधेयक राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत होगा, राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना होग। संसद द्वारा पारित संशोधन विधेयक या वित विधेयक पर पहली बार ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा।

(v) धन या अर्थ विधेयक, राज्यों की सीमा परिवर्त्तन से संबंधित विधेयक या उसके नामकरण से संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में प्रस्तावित होंगे।

(vi) राज्यपाल या उपराज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु अपने पास रख ले। वैसा विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति की उस पर स्वीकृति न हो जाय।

(vii) केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति ने ऐसी कार्रवाइयाँ सन् 1970 ई., 1979 ई. तथा 1991 में की थी।

(viii) संसद के विराम काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रपति अध्यादेश को वापस भी कर सकता है।

3. वित्त संबंधी अधिकार : राष्ट्रपति को वित्त क्षेत्र में भी कतिपय महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है, जो निम्नांकित हैं :

(i) वह वर्ष के आरंभ में संसद के समक्ष उस वर्ष के अनुमानित आय-व्यय का वितरण प्रस्तुत करता है। किसी भी मद के धन की माँग उसी की सिफारिश पर संसद में प्रस्तावित हो सकती है।

(ii) वित्त या धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में प्रस्तुत होगा।

(iii) आयकर से प्राप्त आमदनी को संघ एवं राज्यों के बीच बाँटने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है।

(iv) भारत की आकस्मिक निधि की व्यवस्था करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है।

(v) राज्य विधानमंडल द्वारा पारित वैसा विधेयक जो जल या विद्युत शक्ति पर कर लगाने से हो या राज्य द्वारा प्राप्त की हुई संपत्ति से हो या नागरिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर कर लगाने से हो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकते।

4. न्यायिक शक्तियाँ : राज्याध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति को न्यायपालिका के क्षेत्र में भी कई महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो निम्नांकित हैं :

(i) संविधान की धारा 62 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकता है या उसके दण्ड को हल्का कर सकता है–(क) यदि दण्ड कोई मार्शल कोर्ट द्वारा दिया गया हो, (ख) ऐसे कानून के अधीन अपराध के लिए दण्ड दिया गया हो जिस पर कानून बनाने की शक्ति भारतीय संसद को है और (ग) जबकि किसी को मृत्यु दण्ड दिया गया हो।

(ii) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा प्रार्थना किये जाने पर राष्ट्रपति को उच्च या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने का अधिकार है।

5. संकटकालीन अधिकार : यह सर्वविदित है कि न सभी दिन समान होते हैं और न ही परिस्थितियाँ सदैव समान रहती है। गत महायुद्धों ने यह साबित कर दिया है कि न चाहने पर भी कोई देश युद्ध के चपेट में पड़ सकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि भारत भी कभी संकट के चपेट में पड़ सकता है। अतः उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए उन्होंने राष्ट्रपति को अत्यंत ही व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण संकटकालीन अधिकारों से विभूषित किया। मूल संविधान की व्यवस्थाओं के आधार पर वह काफी शक्तिशाली था। परन्तु संविधान के 42वें एवं 44वें संशोधन द्वारा उसकी स्थिति में आमूल परिवर्त्तन ला दिया गया।

संविधान के 18वें भाग में राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का उल्लेख है। वर्त्तमान समय निम्नांकित तीन परिस्थितियों में संकट की उद्घोषणा की जा सकेगी।

(i) युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न संकट : संविधान की धारा 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी समय यह विश्वास हो जाय कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, आतंरिक अशांति अथवा उनकी संभावना के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा खतरे में है या पड़ सकती है तो वह संकट या आपात् की उद्घोषणा कर संपूर्ण देश के शासन को अपने हाथों में कर सकता था। वह इस प्रकार की उद्घोषणा संकटों की संभावनाओं से भी कर सकता था। परन्तु, संविधान को 44वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति आपात् की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में हो। 42वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति इस प्रकार की उद्घोषणा केवल उसी क्षेत्र के लिए कर सकता है जिसमें संकट उत्पन्न हुआ हो। संविधान लागू होने के दिन से अब तक चार बार राष्ट्रीय आपात् की घोषणा की जा चुकी है, 1962, 1965, 1971 एवं 1975 ई. में।

(ii) राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर : संविधान की धारा 355 के अनुसार यदि राज्यपाल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन या अन्य स्त्रोतों से राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाय कि अमूक राज्यों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे वहाँ का शासन संविधान के अनुसार चलना कठिन है तो राष्ट्रपति वहाँ संकटकाल स्थिति की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति वैसी उद्घोषणा उस समय भी कर सकता है जबकि कोई राज्य सरकार केन्द्र द्वारा दिये गये निर्देश को मानने या उसके अनुसार कार्य करने में विफल हो जाती है। राष्ट्रपति दूसरी उद्घोषणा द्वारा पूर्व उद्घोषणा को समाप्त भी कर सकता है।

संविधान लागू होने के बाद से लेकर अब तक यह उद्घोषणा 75 बार की जा चुकी है। प्रथम उद्घोषणा 1951 ई. में पंजाब में की गयी थी।

(iii) वित्तीय संकट : संविधान की धारा 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को इस बात का संतोष न हो जाय कि भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय साख खतरे में है, तो वह वित्तीय आपात् या संकट की उद्घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति इस उद्घोषणा को पुनः दूसरी उद्घोषणा द्वारा समाप्त भी कर सकता है। यह उदघोषणा अब तक नहीं की गयी है।

इस प्रकार राष्ट्रपति के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारों एवं कार्यों के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति अत्यंत ही शक्तिशाली व्यक्ति है। परन्तु वास्तविकता यह है कि वह अपने अधिकारों का प्रयोग स्वयं नहीं करता। वह उन्हीं कार्यों को स्वयं करता है, जिन्हें उसे व्यक्तिगत रूप में करना है, यथा भाषण देना, हस्ताक्षर करना इत्यादि। उसके समस्त कार्यों के पीछे मंत्रिपरिषद् की सलाह काम करती है। चाहे कार्यपालिका संबंधी अधिकार हो या विधायी शक्तियाँ, चाहे न्यायिक शक्तियाँ हो या वित्तीय, उसके समस्त अधिकारों का प्रयोग लोक सभा के प्रति उत्तरदायी संघीय मंत्रिमण्डल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग भी वस्तुतः मंत्रिमण्डल ही करता है। वह मंत्रिमण्डल की सलाह के बिना किसी भी प्रकार की आपात् उद्घोषणा नहीं कर सकता है। वह अपने इस अधिकार का प्रयोग भी मंत्रिमण्डल की सलाह पर ही करेगा।

उपर्युक्त कार्यों के संपादन में राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग तभी करेगा जबकि प्रधानमंत्री या तो कार्यवाहक हो या उस शर्त पर नियुक्त हुआ हो कि वह निश्चित अवधि के भीतर लोकसभा में अपना बहुमत प्रदर्शित करे। चन्द्रशेखर सरकार के बहुत सारे निर्णयों को इसी कारण राष्ट्रपति ने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था।